बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय,पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)2017-2104 दिनांक-28/2/18

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत DCP के तहत सी0एम0आर0 का निर्गमन प्रकिया के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- **मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक-5765 दिनांक-14.11.17 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2017**

महाशय,

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा पंजीकृत किसानों से कय किए गए धान के समतुल्य सी0एम0आर0 राज्य खाद्य निगम द्वारा संचालित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों में जमा करने की प्रकिया जारी है, जिसका बिकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अतिरिक्त अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत सरकार के निदेशानुसार उपयोग किया जाता है। यद्यपि प्रासंगिक पत्रों द्वारा सी0एम0आर0 के निर्गमन के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा निदेश दिया जा चुका है तथापि पुनः संग्रहित/भंडारित सी0एम0आर0 के निर्गमन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकियाएँ पुनः उद्धृत की जा रही हैः-

- सी0एम0आर0 निर्गमन में **"प्रथम आगत-प्रथम निर्गत" (FIFO)** सिद्धान्त का सतर्कतापूर्वक अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायगा ताकि सी0एम0आर0 के गुणवत्ता पर कोई अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

- सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त सी0एम0आर0 के विरुद्ध निगम मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गये उपावंटनादेश के आलोक में वरीय उप समाहर्त्ता(अधिप्राप्ति) से विमुक्त आदेश प्राप्त किया जायगा। विमुक्ति आदेश में उल्लेखित गोदाम,जहाँसे सी0एम0आर0 का उठाव होना है, का पूर्ण विवरण अंकित किया जायगा। **संबंधित सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी/उठाव प्रभारी द्वारा विमुक्ति आदेश के आलोक में विनिर्दिष्ट गोदाम हेतु ही उठाव कराना सुनिश्चित किया जायगा। किसी की परिस्थिति में अंकित गोदाम से भिन्न गोदाम से अथवा भिन्न मात्रा में उठाव नहीं की जायगी।**

- जिला कार्यालय द्वारा संधारित विमुक्ति आदेश पंजी में निर्गत विमुक्ति आदेश (R.O) की प्रविष्टी की जायगी। **तत्पश्चात् सम्बन्धित R.O के विरुद्ध गोदामवार उपावंटन सूची तैयार कर प्राधिकृत उठाव प्रभारी को उठाव हेतु R.O एवं उपावंटन सूची उपलब्ध कराई जायगी।** उपावंटनादेश संबंधित सी0एम0आर0गोदाम प्रभारी/टी0पी0डी0एस0 गोदाम प्रभारी एवं परिवहन अभिकर्त्ता (मु0) को उपलब्ध कराई जायगी। **जिला के उठाव प्रभारी का विस्तृत एवं लघु हस्ताक्षर अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति)/जिला प्रबंधक द्वारा अभिप्रमाणित कर पूर्व में ही जिलान्तर्गत कियाशील सभी सीर0एम0आर0गोदाम/टी0पी0डी0एस0गोदाम के प्रभारी सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराई जायगी।**

- वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) एवं अपर जिला प्रबधंक(अधिप्राप्ति) द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार यदि छल्ली को BRL घोषित किया जाता है तो वैसी स्थिति में छल्ली (Stack) पर Telley Card लगाया जायगा, जिस पर **"BRL-Not fit for human Consumption"** संबंधित सूचना प्रदर्शित की जायगी ताकि भूलवश संबंधित छल्ली (Stack)से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत सी0एम0आर0 का निर्गमन नहीं हो।

अनुरोध है कि सी0एम0आर0 निर्गमन के कम में उपरांकित बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
28/2.18
मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

RCM-28-02-18

ज्ञापांकः-02:15:17(अधि0)2017-2104 दिनांक-28/2/18

प्रतिलिपिः-परियोजना प्रबंधक,4जी0आईडेन्टीटी सॉल्यूशन,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-महाप्रबंधक(टी0पी0डी0एस0/जन वितरण),मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रबन्ध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2.18
मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।